☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 115 /स्टेनो/2020 सागर, दिनांक 10–04–2020

आदेश

राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से संपूर्ण देश में दिनांक 25–03–2020 से निरंतर 21 दिवस तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया हैं। Annexure to Ministry of Home Affairs Order No 40-3/2020-D datad 24-03-2020 द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से संपूर्ण देश में Disaster Manatement Act 2005 लागू किया जाकर समस्त विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा लिये जाने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है तथा म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा जिलों में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने पदस्थी स्थल पर ही निवास किया जाकर अपने कर्तव्य स्थल पर सौपें गये दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किये जाने के स्थाई निर्देश हैं ।

उक्त संबंध में विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में लाया गया है कि जिले में कई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर निवास न करते हुए प्रतिदिन अन्यत्र स्थानों से आना जाना (अपडाउन) कर रहे है । जिले की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त विभागों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि जिला सागर में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने–अपने कर्तव्य स्थलों (मुख्यालय) पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे । जिले में पदस्थ किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी उनके पदस्थ/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाये जाने एवं मुख्यालय पर निवास करता नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (I)(II)(III) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर Disaster Manatement Act 2005 एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

अपर कलेक्टर एवं
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला सागर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 115 /स्टेनो /2020 सागर, दिनांक 10–04–2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कमिश्नर, सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

5. आयुक्त, नगर पालिक निगम ज़िला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार (समस्त) जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त) जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. स्टेनो टू-कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
12. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

अपर कलेक्टर एवं
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला सागर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner